

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**आदेश**

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती रष्मिन्द्र कौर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि महियावाली - गंगानगर जिनकी जन्म तिथि:- 18.03.1960 ने दिनांक 20.08.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.12.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती रष्मिन्द्र कौर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि महियावाली - गंगानगर प्रन्द्ध वर्ष की अर्हकारी सेवाएं पूर्ण करने पर संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 01.12.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती रष्मिन्द्र कौर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018-19

दिनांक- 5/11/18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) बीकानेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) गंगानगर
4. प्रधानाचार्य, राउमावि महियावाली - गंगानगर
5. श्रीमती रष्मिन्द्र कौर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि महियावाली - गंगानगर
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6
राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक, मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मधुबाला लोढा, बा0 बिजयनगर - अजमेर	23.11.1959	30/11/2019
2	चुनीलाल रैगर, गांवगुडा - राजसमंद	30.01.1959	31/01/2019
3	हरीश चन्द्र पुजारी, माकडो - झुंझुनू	26.10.1958	31/10/2018
4	घनश्याम सिंह भाटी, मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गढी बांसवाडा	05-10-1958	31-10-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।


(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 5/11/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2018-19
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप-6
राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्यामलाल चमार, बीकमपुर-कोलायत-बीकानेर	01.01.1959	31/12/2018
2	प्यारेलाल चौधरी, थडा - प्रतापगढ़	02.01.1959	31/01/2019
3	गुलाब चन्द रावल, पीपलखूंट प्रतापगढ़	03.10.1958	31/10/2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 5/11/18

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2018-19

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

आदेश

श्री कृष्ण गोपाल, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि खातोली - कोटा जिनकी जन्म तिथि:- 08/08/1959 है, का निधन दिनांक:-28.07.2018 को हो चुका है। अतः श्री कृष्ण गोपाल, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :-28/07/2018 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री कृष्ण गोपाल, प्राध्यापक, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

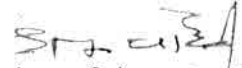
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 5/11/18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा
4. प्रधानाचार्य, राउमावि खातोली कोटा
5. आश्रित श्री कृष्ण गोपाल, प्राध्यापक हिन्दी राउमावि खातोली कोटा
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. निजो एवं रक्षित पत्रावली



✓ संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रारूप-6

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक-

आदेश

श्री गोपाल लाल गोस्वामी, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि खातोली - कोटा जिनकी जन्म तिथि:- 06/04/1960 है, का निधन दिनांक :- 04.08.2018 को हो चुका है। अतः श्री गोपाल लाल गोस्वामी, प्राध्यापक (हिन्दी) की सेवायें दिनांक :- 04/08/2018 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री गोपाल लाल गोस्वामी, प्राध्यापक, के विरुद्ध आज तक -

4. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
5. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
6. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक

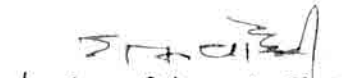
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 5/11/18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

9. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
10. शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) कोटा
11. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा
12. प्रधानाचार्य, राउमावि खातोली कोटा
13. आश्रित श्री गोपाल लाल गोस्वामी, प्राध्यापक हिन्दी राउमावि खातोली कोटा
14. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
15. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन ए.बी/वरिष्ठता/एसीआर अनुभाग कार्यालय हाजा
16. निजी एवं रक्षित पत्रावली



(-संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री मदन लाल मीना व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भजेडा-राजगढ, अलवर जिनकी जन्मतिथि 02.02.1973 है, का निधन दिनांक 08.10.2018 को होने व स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (08110001000062101568/2018) के आधार पर श्री मदन लाल मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान की सेवाएं दिनांक 08.10.2018 से समाप्त की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री मदन लाल मीना व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भजेडा-राजगढ, अलवर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम - 17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(नथमल डिडेल)

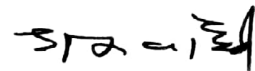
आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवासमाप्ति/2017 दिनांक: - 05/11/2018
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ———
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भजेडा-राजगढ, अलवर
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री मदन लाल मीना
7. निजी/रक्षित पत्रावली


✓ संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय- आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अंतर्गत श्रीमती नरेन्द्र कौर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि 50 एफ रूपनगर, करणपुर - श्री गंगानगर ने दिनांक - 27.09.2018 को नोटिश प्रस्तुत कर दिनांक 10.01.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। जिनकी जन्म तिथि 15.06.1963 है।

श्रीमती नरेन्द्र कौर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि 50 एफ रूपनगर, करणपुर - श्रीगंगानगर ने 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ तथा 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करती है। अतः राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 10.01.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृती की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्रीमती नरेन्द्र कौर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि 50 एफ रूपनगर, करणपुर - श्री गंगानगर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम - 17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

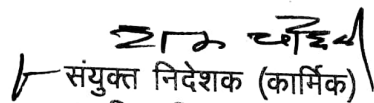

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्वै.सेनि/31901/2011
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

दिनांक 05/11/2018

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग -----
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
5. प्रधानाचार्य, राउमावि 50 एफ रूपनगर, करणपुर - श्री गंगानगर
6. श्रीमती नरेन्द्र कौर, व्याख्याता राउमावि 50 एफ रूपनगर, करणपुर - श्री गंगानगर
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी संस्थापन सी अनुभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर